

31-1-19

01/2019 दिलीप सिंह vs बहादुर सिंह
पत्रावली पेश हुई। वकील श्री अमर सिंह

उपरो।
यह प्रां पत्र मुंबई मुंबई उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना के विरुद्ध प्रॉ. 363/2018 उच्च न्यायालय
दिलीप सिंह vs बहादुर सिंह का अन्यत्र
अन्तर्गत नाला दिये पेश किया है।

प्रां पत्र दर्ज राजस्टर एवं आपी जण का
नोटिस जारी एवं अधीन पीठासीन अधिकारी
श्री दिव्याजी शास्त्रि का 18-2-19 को पेश है।

जिला कलेक्टर सीकर

18-2-19

पत्रावली पेश हुई। अधीन संखे द्वारा यात्रिक
कार्य स्थगित रखा गया है। पूर्व आदेशानुसार
12-3-19 को पेश है।

12-3-19

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपरो।
तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण
अन्यत्र ही चुका है। अब प्रकरण को आपी
चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रां पत्र
मुंबई मुंबई उपखण्ड अधिकारी को स्थगित किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमा होकर
नम्बर 6 कम है।

जिला कलेक्टर, सीकर